

5

प्रेषक: निदेशक,
प्रशिक्षण एव सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में: प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
बिदरगोर, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र,
133 माइल्स स्टोन, रुड़की रोड़ Badhedri
जिला-मुजफ्फरनगर। पिन-251307

01-12-2009
2010

पत्रांक: लखनऊ : दिनांक :
विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14/7/2009 पर दिनांक 27/11/2009 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1.	Fitter 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-14/7/2009 w.e.f.Feb 2010
2.	Electrician 2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	
3.	Draughtsman Civil 2(1+1)	2(1+1)	*Rejected	*Tools & Equipment is not as per NCVT norms.
4.	Draughtsman Mech. 2(1+1)	2(1+1)	*Rejected	

DGET-6/24/174/2009 -TC DATED 27/11/2009

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस०सी०आई०आर०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस०आई०आर०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू०सी०-विचारार्थीन
- (5) एन०आर०-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या विन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को अगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहुल देव)

अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

तददिनांकित

पत्रांक : 0886 /टी-3/रा०प०/भा०सं०संस्तुति/

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष) मेरठ को इत्त आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. मार्ट फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)

अपर-निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

35

प्रेषक, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, विद्युत् और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, रुद्रकी रोड, एन०एच०५८ भदोई, मुजफ्फरनगर।

19/5/14 2013

पत्रांक: /टी-3/रा०प०/भा०स०संस्तुति लखनऊ : दिनांक :
विषय:- स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औ०प्र० केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोडनगर एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केन्द्र की स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14-01-2012 पर दिनांक 25-09-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician Addl. 01 Units		Addl. one unit Total 3(1+1+1)	DIR-14/01/12 SIR-22-08-12 w.e.f. Aug.2012 *Already Rejected in the meeting held on 28-05-12 & no document for Fitter trade.
2-	Fitter Addl. 01 Units		*Rejected	

DGET-6/24/174/2009-TC DATED 25/09/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस०सी०आई०आर०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
 - (2) एस०आई०आर०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
 - (3) डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
 - (4) यू०सी०-विचाराधीन
 - (5) एन०आर०-संस्तुति नहीं किया गया।
 - (6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।
2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कठिनाई/त्रुटियों का निराकरण समसामयिकता करके अपनी आख्या विन्दुवार माध्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अधिन कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
भवदीय,

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष)

पत्रांक 619 /टी-3/रा०प०/भा०स०संस्तुति/ तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित औ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1 रायुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्ष)नेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा सम्बन्धित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
2 सम्बन्धित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3 गाई फाइल हेतु।
4 उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अलीगज, लखनऊ।

(अपर निदेशक (प्रशि/शिक्ष))